

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु– 560 037

MARATHAHALLI COLONY P.O

BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.:1092 का संशोधन सहित नवीकरण/

Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1092

विषय/Sub: प्राइमर 205 सहित केमलॉक 220/ Chemlok 220 with Primer 205

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स लॉर्ड इंडिया केमिकल प्रोडेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट सं.26, एम आई डी सी, सतपुर, नासिक – 422 007, द्वारा विकसित एवं उत्पादित " प्राइमर 205 सहित केमलॉक 220 " को संदर्भ सं.: सेमिलैक/ 5070/ टीए- 1092,दिनांक 07 जनवरी 2005 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 1092 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1092/1आर, दिनांक 12 मई 2010 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2015 तक थी।

This is to state that the "Chemlok 220 with Primer 205", developed and manufactured by M/s Lord India Chemical Products Pvt. Ltd., Plot No. 26, M.I.D.C., Satpur, Nasik - 422 007 was issued TA No.: 1092 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA – 1092, dated: 07th January 2005. Subsequently it was renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1092/1R, dated: 12th May 2010 with validity up to 30th June 2015.

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्तूबर 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितंबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगत, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(नासिक), सेमिलैक, द्वारा मेसर्स एचएएल (नासिक प्रभाग), ओझर टाउनिशप, नासिक – 422 207, से अनुरोध करना होगा।

पृष्ठ/Page 01 of 02

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st October 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th September 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nasik), CEMILAC, C/o M/s HAL (Nasik Division), Ojhar Township, Nashik – 422 207, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

4. संदर्भ सं.:सेमिलैक/5070/टीए-1092, दिनांक 07 जनवरी 2005 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद **पाँच (05)** में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1092, dated: 07^{th} January 2005 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1092/2R

दिनांक / Date: 25 October 2018

फैक्स सं/Fax No: 080-25230856

for IR

पी जयपाल / P.JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) Chief Executive (Airworthiness)